समाहरणालय, अरवल।

(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
29.01.2016	**न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अरवल** **शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद सं0 – 168/डी0एम0/2015** आदेश **श्री राकेश कुमार**, पे0–श्री ललन सिंह, सा0–केयाल, थाना–करपी (शहरतेलपा ओ0पी0), जिला–अरवल द्वारा एक **डी0बी0बी0एल0 गन** की अनुज्ञप्ति हेतु **वर्ष 2014** में आवेदन पत्र समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद कायम करते हुए पुलिस अधीक्षक, अरवल से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर **दिनांक 29.01.2016** को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। निर्धारित तिथि को आवेदक का पक्ष सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के वक्त आवेदक स्वयं उपस्थित होकर बताया कि वे **कृषि का कार्य करते हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह पूछने पर कि क्या आपके साथ कभी किसी प्रकार की अपराधिक घटना घटी है अथवा धमकी दिया गया है तथा उन्हें किस प्रकार की खतरा है। इनके द्वारा कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। आवेदक का कुल आय 2,00,000/– रूपये मात्र बताया गया।** फिर भी उनके द्वारा अपनी जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा/भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। पुलिस अधीक्षक, अरवल के **ज्ञापांक 71/गो0 (शस्त्र), दिनांक 13.03.2015** द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जॉचोपरान्त मात्र **अग्रसारित** किया गया, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अरवल के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को **मात्र अग्रसारित** किया गया है। **थानाध्यक्ष, बंशी** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक **का पेशा कृषि है।** तदोपरान्त आवेदक के जान माल के सरुक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। लेकिन आवेदक को किसी विशेष सुरक्षा/भय होने के संबंध में **"नहीं "** प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जॉच प्रतिवेदन की **कंडिका 10** के सभी बिन्दुओं पर **नहीं** प्रतिवेदित करने के बावजुद भी आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गई है। लेकिन इसके लिए किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया है।	

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

शस्त्र अधिनियम,1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2) ए में अंकित है कि "आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भार साधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवायेगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर समर्पित करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसी जॉच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जैसा वह आवश्यक समझे, उप धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अध्याय के अन्य उपबंधों अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत करेगा या अनुदत करने से इन्कार करेगा।

पुलिस अधीक्षक, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सुक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निस्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को वर्तमान समय में सुरक्षा के बिंदू पर कोई सुरक्षा/भय/खतरा नहीं है तथा **ऐसे में आवेदक को एक डी0बी0बी0एल0 गन** हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने का कोई **यथेष्ट कारण नहीं है।**

शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं पुलिस अधीक्षक, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त **श्री राकेश कुमार**, पे0–श्री ललन सिंह, सा0–केयाल, थाना–करपी (शहरतेलपा ओ0पी0), जिला–अरवल के आवेदित एक **डी0बी0बी0एल0 गन** की अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को ***अस्वीकृत*** किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

28/1/16

जिला दंडाधिकारी, अरवल

28/1/16

जिला दण्डाधिकारी, अरवल